



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2016/00037

दर्ज तिथि:-08.02.2016

1. गोरखाराम के कायम मुकाम

1. शारदा पुत्री गोरखा

2. कुसबू पुत्री गोरखा

3. प्रवीण पुत्र गोरखा वादी संख्या 01 ता 03 तक नाबालिग जरिये माता कुदरती संरक्षक वादी संख्या 1/4

4. नोजी पत्नी गोरखा

जाति भांभी निवासी अणखिया तहसील गुडामालानी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. गोरधन पुत्र मदा

2. खाखणराम के कायम मुकाम

2/1 राजूराम पुत्र खाखणराम

2/2 पुखराज पुत्र खाखणराम

3. डालू पुत्र राणा के कायम मुकाम

3/1 बाबूलाल पुत्र डालू

4. रूपा पुत्र राणा

5. हरखा पुत्र राणा

6. मोटा पुत्र राणा

7. तारा पुत्र राणा

8. चौखा पुत्र लाखा

9. रूकबा पुत्र लाखा फौत के कायम मुकाम

1. पुखराज पुत्र रूकबा

2. पपूराम पुत्र रूकबा

10. खुमा पुत्र लाखा

11. डालू पुत्र लाखा

12. कसूमबी पत्नी लाखा

जाति भांभी निवासी अणखिया तहसील गुडामालानी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

13. तहसीलदार गुडामालानी हाल तहसीलदार नोखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादीगण



उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगण:- श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955
दर्ज तिथि:-27.07.2023

वाद संख्या:-2023/248

1. रूकबाराम पुत्र लाखाराम
2. चोखाराम पुत्र लाखाराम
3. डालुराम पुत्र लाखाराम
4. पुखराज पुत्र खुमाराम
5. दुर्गाराम पुत्र खुमाराम
6. पन्नीदेवी पत्नी खुमाराम
7. कसुम्बी पत्नी लाखाराम फौत के कायम मुकाम वादी संख्या 01 ता 06
8. ताराराम पुत्र राणाराम
9. मोटाराम पुत्र राणाराम
10. रूपाराम पुत्र राणाराम
11. हरखाराम पुत्र राणाराम
12. बाबूलाल पुत्र डालूराम
13. पुखराज पुत्र खांखणराम
14. राजूराम पुत्र खांखणराम
15. गोरधनराम पुत्र मदाराम

जाति मेघवाल निवासी नाईयों की ढाणी, अणखिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
.....वादीगण
बनाम

1. नोजीदेवी पत्नी गोरखाराम
2. खुशबू पुत्री गोरखाराम
3. प्रवीण पुत्र गोरखाराम
4. शारदा कुमारी पुत्री गोरखाराम (प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 नाबालिग की वली माता प्रतिवादी संख्या 01)
जाति मेघवाल निवासी नाईयों की ढाणी, अणखिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादीगण
5. तहसीलदार नोखड़ा
.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीगण:- श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-24.03.2025

1. उपरोक्त दोनों वाद समान पक्षकारान, समान आराजी एवं समान अनुतोष के होने से दोनों वाद पत्रों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
2. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते प्रारम्भिक डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 28/19.1011 है0, 28/2/22.5410 है0 मौजा नाईयों की ढाणी एवं खसरा संख्या 100/3.2860 है0, 99/0.1214 है0, 107/1.1169 है0 मौजा अणखिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुत्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
3. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजा न्यायालय में असालतन-वकालतन उपस्थित होकर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा बंटवारा हेतु सहमति प्रदान की गई।
4. प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.03.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/30 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में मौका कुर्रजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में सहमति अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए सहमति विभाजन का नजरी नक्शा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त सहमति विभाजन अनुसार दोनों पक्ष सहमत होने से सहमति नजरी नक्शा अनुसार विभाजन स्वीकार किया जावे। उक्त सहमति नजरी नक्शा से पक्षकारान हेतु प्रस्तावित

आराजी का रकबा अप्रभावित रहेगा। शेष विभाजन मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा रिपोर्ट अनुसार यथावत रखा जाने का निवेदन किया गया। इस प्रकार प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा सहमति अनुसार एवं उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/30 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 09.09.2024 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक 361-379 दिनांक 02.09.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 09.09.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक 361-379 दिनांक 02.09.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 09.09.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

5. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073-2076 एवं 2072-2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 28/19.1011 है0, 28/2/22.5410 है0 मौजा नाईयों की ढाणी एवं खसरा संख्या 100/3.2860 है0, 99/0.1214 है0, 107/1.1169 है0 मौजा अणखिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। प्रकरण में अधिवक्तागण उभपक्षकारान द्वारा तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में सहमति अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए सहमति विभाजन का नजरी नक्शा

प्रस्तुत कर उक्तानुसार विभाजन करने पर सहमति जाहिर की गई है। साथ ही शेष विभाजन मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा रिपोर्ट अनुसार यथावत रखा जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एवं उक्त मौका रिपोर्ट में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत विभाजन के अवलोकन से उक्तानुसार विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 28/19.1011 है, 28/2/22.5410 है, मौजा नाईयों की ढाणी एवं खसरा संख्या 100/3.2860 है, 99/0.1214 है, 107/1.1169 है, मौजा अणखिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति नक्शा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

सत्यमेव जयते

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
खुशबू पुत्री गोरखाराम हि० 1/4		99	0.1214	गै०मु०
प्रवीण पुत्र गोरखाराम हि० 1/4	अणखिया	788/100	0.3642	बा०दो०
शारदा कुमारी पुत्री गोरखाराम हि० 1/4	नाईयों की	28	1.8211	बा०सो०
नोजीदेवी पत्नी गोरखाराम हि० 1/4	ढाणी	28/2	2.8058	बा०सो०
जाति मेघवाल सा० देह खातेदार				
कुल किता 04 रकबा 5.1125 है०				
गोरधन पुत्र मदा हि० पूर्ण		788/100	0.2722	बा०दो०
जाति मेघवाल सा० देह खातेदार	अणखिया	788/100	0.2134	बा०दो०
	नाईयों की	28	1.3112	बा०सो०
	ढाणी	28/2	3.3157	बा०सो०
कुल किता 04 रकबा 5.1125 है०				
पुखराज पुत्र खांखण हि० 1/2	अणखिया	788/100	0.4856	बा०दो०
राजूराम पुत्र खांखण हि० 1/2	नाईयों की	28	2.9785	बा०सो०
जाति मेघवाल सा० देह खातेदार	ढाणी	28/2	1.6484	बा०सो०

कुल किता 03 रकबा 5.1125 है0				
चोखा पुत्र लाखा हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	अणखिया नाईयों की ढाणी	107 28 28/2	0.3642 1.8858 1.5844	बा0दो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 3.8344 है0				
डालू पुत्र लाखा हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	अणखिया नाईयों की ढाणी	107 28 28/2	0.3642 1.8939 1.5762	बा0दो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 3.8343 है0				
रूकबा पुत्र लाखा हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	अणखिया नाईयों की ढाणी	788/100 28 28/2	0.3642 1.8939 1.5763	बा0दो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 3.8344 है0				
दुर्गाराम पुत्र खूमाराम हि0 1/3 पुखराज पुत्र खूमाराम हि0 1/3 पन्नीदेवी पत्नी खूमाराम हि0 1/3 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	अणखिया नाईयों की ढाणी	107 28 28/2	0.3642 1.8939 1.5763	बा0दो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 3.8344 है0				
तारा पुत्र राणा हि0 1/5 मोटा पुत्र राणा हि0 1/5 रूपा पुत्र राणा हि0 1/5 हरखा पुत्र राणा हि0 1/5 बाबुलाल पुत्र डालूराम हि0 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	अणखिया नाईयों की ढाणी	788/100 28 28/2	1.4568 2.4767 11.4040	बा0दो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 15.3375 है0				
संयुक्त (रास्ते हेतु)	अणखिया	107 788/100	0.0243 0.0896	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.1139 है0				
नोट:-				
<ol style="list-style-type: none"> 1. मूल विभाजन प्रस्ताव में खसरा संख्या 28 मौजा नाईयों की ढाणी में तारा वगैरह व पुखराज वगैरह के दोनों हिस्सों को मिलाकर सड़क पर 294 मीटर प्रस्तावित की गई थी। जिसमें तारा वगैरह के लिये सड़क पर कम व पुखराज वगैरह के लिये सड़क पर ज्यादा प्रस्तावित की गई। जिसको संशोधन कर 147 मीटर-147 मीटर प्रस्तावित की जावे। सहमति का नजरी नक्शा साथ में संलग्न है। 2. साथ ही मूल विभाजन में खसरा संख्या 788/100 मौजा अणखिया में गोरधन पुत्र मदा के रकबे के बीच में से रास्ता प्रस्तावित किया गया था। जिसको नोजीदेवी व गोरधन हेतु प्रस्तावित आराजी के बीच में प्रस्तावित कर तारा वगैरह के भू-भाग तक रखा जावे एवं रास्ते का रकबा व अन्य खातेदारों का रकबा अप्रभावित रहेगा। गोरधन के भूखण्डों में से रास्ता हटाने से रकबा 0.4856 है0 रहेगा। बाकी शेष विभाजन मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा रिपोर्ट अनुसार यथावत रखा जावे। सहमति का नजरी नक्शा साथ में संलग्न है। 				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2016/00037

दर्ज तिथि:-08.02.2016

1. गोरखाराम के कायम मुकाम

1. शारदा पुत्री गोरखा

2. कुसबू पुत्री गोरखा

3. प्रवीण पुत्र गोरखा वादी संख्या 01 ता 03 तक नाबालिग जरिये माता कुदरती संरक्षक वादी संख्या 1/4

4. नोजी पत्नी गोरखा

जाति भांभी निवासी अणखिया तहसील गुडामालानी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. गोरधन पुत्र मदा

2. खाखणराम के कायम मुकाम

2/1 राजूराम पुत्र खाखणराम

2/2 पुखराज पुत्र खाखणराम

3. डालू पुत्र राणा के कायम मुकाम

3/1 बाबूलाल पुत्र डालू

4. रूपा पुत्र राणा

5. हरखा पुत्र राणा

6. मोटा पुत्र राणा

7. तारा पुत्र राणा

8. चौखा पुत्र लाखा

9. रूकबा पुत्र लाखा फौत के कायम मुकाम

1. पुखराज पुत्र रूकबा

2. पपूराम पुत्र रूकबा

10. खुमा पुत्र लाखा

11. डालू पुत्र लाखा

12. कसूमबी पत्नी लाखा

जाति भांभी निवासी अणखिया तहसील गुडामालानी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

13. तहसीलदार गुडामालानी हाल तहसीलदार नोखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगण:- श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

वाद संख्या:-2023/248

दर्ज तिथि:-27.07.2023

1. रूकबाराम पुत्र लाखाराम
2. चोखाराम पुत्र लाखाराम
3. डालुराम पुत्र लाखाराम
4. पुखराज पुत्र खुमाराम
5. दुर्गाराम पुत्र खुमाराम
6. पन्नीदेवी पत्नी खुमाराम
7. कसुम्बी पत्नी लाखाराम फौत के कायम मुकाम वादी संख्या 01 ता 06
8. ताराराम पुत्र राणाराम
9. मोटाराम पुत्र राणाराम
10. रूपाराम पुत्र राणाराम
11. हरखाराम पुत्र राणाराम
12. बाबूलाल पुत्र डालूराम
13. पुखराज पुत्र खांखणराम
14. राजूराम पुत्र खांखणराम
15. गोरधनराम पुत्र मदाराम
जाति मेघवाल निवासी नाईयों की ढाणी, अणखिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
.....वादीगण
बनाम
1. नोजीदेवी पत्नी गोरखाराम
2. खुशबू पुत्री गोरखाराम
3. प्रवीण पुत्र गोरखाराम
4. शारदा कुमारी पुत्री गोरखाराम (प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 नाबालिग की वली माता
प्रतिवादी संख्या 01)
जाति मेघवाल निवासी नाईयों की ढाणी, अणखिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादीगण
5. तहसीलदार नोखड़ा
.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीगण:- श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 28/19.1011 है0, 28/2/22.5410 है0 मौजा नाईयों की ढाणी एवं खसरा संख्या 100/3.2860 है0, 99/0.1214 है0, 107/1.1169 है0 मौजा अणखिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति नक्शा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
खुशबू पुत्री गोरखाराम हि0 1/4	अणखिया नाईयों की ढाणी	99	0.1214	गै0मु0
प्रवीण पुत्र गोरखाराम हि0 1/4		788/100	0.3642	बा0दो0
शारदा कुमारी पुत्री गोरखाराम हि0 1/4		28	1.8211	बा0सो0
नोजीदेवी पत्नी गोरखाराम हि0 1/4 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार		28/2	2.8058	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 5.1125 है0				
गोरधन पुत्र मदा हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	अणखिया नाईयों की ढाणी	788/100	0.2722	बा0दो0
		788/100	0.2134	बा0दो0
		28	1.3112	बा0सो0
		28/2	3.3157	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 5.1125 है0				
पुखराज पुत्र खांखण हि0 1/2	अणखिया नाईयों की ढाणी	788/100	0.4856	बा0दो0
राजूराम पुत्र खांखण हि0 1/2		28	2.9785	बा0सो0
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार		28/2	1.6484	बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 5.1125 है0				
चोखा पुत्र लाखा हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	अणखिया नाईयों की ढाणी	107	0.3642	बा0दो0
		28	1.8858	बा0सो0
		28/2	1.5844	बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 3.8344 है0				
डालू पुत्र लाखा हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	अणखिया नाईयों की ढाणी	107	0.3642	बा0दो0
		28	1.8939	बा0सो0
		28/2	1.5762	बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 3.8343 है0				
रूकबा पुत्र लाखा हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	अणखिया नाईयों की ढाणी	788/100	0.3642	बा0दो0
		28	1.8939	बा0सो0
		28/2	1.5763	बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 3.8344 है0				
दुर्गाराम पुत्र खूमराम हि0 1/3	अणखिया नाईयों की	107	0.3642	बा0दो0
पुखराज पुत्र खूमराम हि0 1/3		28	1.8939	बा0सो0

पन्नीदेवी पत्नी खूमाराम हि0 1/3 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	ढाणी	28/2	1.5763	बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 3.8344 है0				
तारा पुत्र राणा हि0 1/5 मोटा पुत्र राणा हि0 1/5 रूपा पुत्र राणा हि0 1/5 हरखा पुत्र राणा हि0 1/5 बाबुलाल पुत्र डालूराम हि0 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	अणखिया नाईयों की ढाणी	788/100 28 28/2	1.4568 2.4767 11.4040	बा0दो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 15.3375 है0				
संयुक्त (रास्ते हेतु)	अणखिया	107 788/100	0.0243 0.0896	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.1139 है0				
<p>नोट:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मूल विभाजन प्रस्ताव में खसरा संख्या 28 मौजा नाईयों की ढाणी में तारा वगैरह व पुखराज वगैरह के दोनों हिस्सों को मिलाकर सड़क पर 294 मीटर प्रस्तावित की गई थी। जिसमें तारा वगैरह के लिये सड़क पर कम व पुखराज वगैरह के लिये सड़क पर ज्यादा प्रस्तावित की गई। जिसको संशोधन कर 147 मीटर-147 मीटर प्रस्तावित की जावे। सहमति का नजरी नक्शा साथ में संलग्न है। 2. साथ ही मूल विभाजन में खसरा संख्या 788/100 मौजा अणखिया में गोरधन पुत्र मदा के रकबे के बीच में से रास्ता प्रस्तावित किया गया था। जिसको नोजीदेवी व गोरधन हेतु प्रस्तावित आराजी के बीच में प्रस्तावित कर तारा वगैरह के भू-भाग तक रखा जावे एवं रास्ते का रकबा व अन्य खातेदारों का रकबा अप्रभावित रहेगा। गोरधन के भूखण्डों में से रास्ता हटाने से रकबा 0.4856 है0 रहेगा। बाकी शेष विभाजन मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा रिपोर्ट अनुसार यथावत रखा जावे। सहमति का नजरी नक्शा साथ में संलग्न है। 				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो।
खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर